न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/06/2018

अपीलार्थी
श्री अमित कुमार शर्मा
निवासी–फ्लैट–एम, सागर अपार्टमेंट
6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001

बनाम

प्रत्यर्थी
लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)

प्रवेश तिथि : 11.01.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 25.01.18

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री सम्पतराम क.लि. द्वारा उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 11.11.17 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला–अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 04 बिन्दुओं पर सूचना की वांछा की गई थी।
5. अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रा.पत्र दि0 11.11.17 में वांछित सूचनाऐं नहीं मिलने के कारण इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2017/46–47 दिनांकः 11.01.18 के माध्यम तलब कर दिनांकः 25.01.2018 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री सम्पतराम क.लि. द्वारा उपस्थित होकर पत्रांकः आर.टी.आई./2018/5938 दिनांकः 23.01.2018 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला–अलवर द्वारा निवेदन किया कि "लोकसभा उपचुनाव, 2018 संबंधी कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, आवेदक द्वारा प्रा.पत्र दि0 11.11.17 में वांछित सूचना के बिन्दु सं. 1, 3 व 4 के क्रम में विकास अधिकारी पं.स. लक्ष्मणगढ के पत्रांकः 7873 दिनांकः 27.10.2016 के साथ दस्तावेजात् की फोटोप्रति प्राप्त हुई है। सुनवाई हेतु आगामी तारीख नियत की जावे।"
8. प्राप्त अपीलोत्तर से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा बिन्दु सं. 1, 3 व 4 के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना, लोकसभा उपचुनाव, 2018 संबंधी कार्य में व्यस्त होने के कारण तथा संबंधित विभाग से फोटोप्रति के रूप में संबंधित सूचना प्राप्त होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई गई है।

रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

(2)

9. यद्यपि चुनाव संबंधी कार्य समयबद्ध एवं महत्त्वपूर्ण प्रकृति का है किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन/अनुरोध का निस्तारण, अधिनियम की भावना, उद्देश्य के अनुकूल निर्धारित समयावधि में एवं प्रावधानानुसार किया जाना आवश्यक है।

10. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी सूचना को साधारणतया उसी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि यह लोक प्राधिकारी के स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं0 11/2/2008–आईआर दिनांकः 10.07.2008 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) की व्याख्या की है कि "यह नोट करना आवश्यक है कि उक्त प्रावधान {सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9)} का मतलब सिर्फ इतना भर है कि ***यदि जानकारी छायाप्रति के रूप में मांगी गई है तो यह छायाप्रति के रूप में मुहैया कराई जाए*** और यदि यह फ्लॉपी के रूप में मांगी जाती है तो अधिनियम में दी गई शर्तों के अधीन इसे फ्लॉपी के रूप में मुहैया कराया जाए इत्यादि। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना को नया रूप प्रदान कर उसे आवेदक को मुहैया कराएगा।'

11. उक्त निर्देशों के आलोक में प्रत्यर्थी विभाग, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रा.पत्र दि0 11.11.17 के बिन्दु सं. 1, 3 व 4 के क्रम में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों की फोटोप्रति की फोटोप्रति अधिनियम के प्रावधानानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उक्त आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में आवश्यक रूप से निःशुल्क ही पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। बिन्दु सं. 2 के क्रम में विनिश्चय से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।

12. अतः उक्त अपील बिन्दु सं. 1, 3 व 4 के क्रम में स्वीकार की जाकर अपील का उक्तानुसार निस्तारण किया जाता है। बिन्दु सं. 2 के क्रम में अपील खारिज की जाती है।

13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

14. निर्णय घोषित।

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I)
कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)